संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 द.प्र.सं.1973

न्यायालय– अभिषेक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

जतारा, जिला टीकमगढ़ ,म0प्र0

समरी प्रकरण क्र 0 521/2022

संस्थित दिनांक–18–10–2022

फाईलिंग नंबर– 1768/2022

अभियोगी/परिवादी का नाम व पता पुलिस थाना जतारा

अभियुक्त/गण का नाम, पिता का नाम और निवास

अभियुक्त/गण:–1– देवेन्द्र पिता पंचम लोधी उम्र 45 वर्ष,

2– रामेश्वर रैकवार पिता गणेश रैकवार उम्र 30 वर्ष,

3– मनीराम पिता मल्था रैकवार उम्र 48 वर्ष, समस्त निवासी ग्राम बाजीतपुरा, थाना जतारा, जिला–टीकमगढ म०प्र०

परिवादित अपराध का विवरण

आपने घटना दिनांक 11–10–2022 को समय 14:35–14.40 बजे स्थान ग्राम माते का महुआ वाला खेत ग्राम बाजीतपुरा में ताश–पत्तों से रूपये–पैसे की हार–जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे ?

ऐसा करके आपने धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है। क्यों न आपको उक्त अपराध के लिए दंडित किया जायें?

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जतारा, जिला टीकमगढ, म.प्र.

अभियुक्त/गण का अभिवाक् एवं परीक्षण–

सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से जुआ खेलने का अपराध स्वीकार है।

.....

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जतारा, जिला टीकमगढ, म.प्र.

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) Clause (e) Clause (f) pt clause (g), of Sub- section (I) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(दिनांक **18–10–2022** को घोषित)

1– अभियुक्त/गण पर धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

2– उपरोक्तानुसार अभियुक्त/गण के विरूद्ध धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये जाने पर अभियुक्त/गण द्वारा स्वेच्छ्यापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

3– दण्डादेश पर विचार किया गया, दोषी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का अभियोजन नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए एवं दोषी की सामाजिक व आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दंडनीय आरोप हेतु 100–100 (सौ–सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 10–10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावें।

4– प्रकरण में जप्तशुदा राशि 730/– रूपये अपील अवधि पश्चात् राजसात किये जावें तथा जप्तशुदा संपत्ति 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावें।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।
मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक 18–10–2022
स्थान–जतारा

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जतारा, जिला टीकमगढ़, म.प्र.

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)